न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 58/2021 GCMS NO 2021/249
दायरा तिथि : 08.10.2021
आदेश तिथि : 07-03-2022

प्रार्थी :–
श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. श्री शंकर पुत्र मेघाजी जाति गरासिया
   निवासी वाजीया फली, आबुरोड, जिला सिरोही (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 07-03-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी निजी खातेदार शंकर पुत्र मेघाजी जाति गरासिया की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी के खसरा नंबर 1137/1 रकबा 0.30 हैक्टर की भूमि मेंसे एवं राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील के खसरा नंबर 11376 रकबा 0.5700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/458 दिनांक 16.02.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम मोरी बेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थी चन्दनसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा के नाम की खातेदारी भूमि है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। तथा वर्तमान में आवेदक इसी खसरे मेंसे आवागमन करता है।

2. प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) के तहत रास्ता निजी खातेदारी खसरा नंबर 1137/1 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1137 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे चाहा गया हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1137/1	0.30 हैक्टर	बारानी दोयम	9X 58=522 वर्गमीटर	शंकरलाल पुत्र मेघाजी जाति गरासिया
2.	1137	0.57 हैक्टर	बारानी दोयम	9X 63=567 वर्गमीटर 9X 38=342 वर्गमीटर 9X 13=117 वर्गमीटर 9X 36=324 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
				1350 वर्गमीटर	
			योग	1872 वर्गमीटर	

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन की डी.एल.सी. दर 133110/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 58/2021 GCMS NO 2021/249
अनवान चन्दनसिंह बनाम शंकर वगैरा
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थी शंकर पुत्र मेगाजी गरासिया को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये जाने के बावजुद अनुपस्थित रहा। इसके साथ ही अप्रार्थी शंकर पुत्र मेगाजी गरासिया द्वारा भी अपनी खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1137/1 रकबा 0.30 हैक्टर में आवागमन के लिये रास्ते हेतु आवेदन किया है। जिसके प्रकरण संख्या 56/2021 GCMS NO. 2021/248 अनवान शंकर बनाम तहसीलदार, बाली है, उसकी सुनवाई तिथि भी आज ही नियत है, जिसमें भी तहसीलदार, बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई है, कि श्री चन्दनसिंह पुत्र जेठूसिंह को नया मार्ग स्वीकृत होने पर शंकर पुत्र मेगाजी गरासिया को रास्ता स्वतः ही मिल जायेगा। इस प्रकार अप्रार्थी शंकर को उक्त प्रकरण की भलीभॉती जानकारी होने के बावजुद प्रार्थी के उक्त प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी शंकर के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में हितबद्ध निजी खातेदार शंकर बावजुद सूचना एवं जानकारी के किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने एवं प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लियेनिजी खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी के खसरा नंबर1137/1 रकबा 0.30 हैक्टर मेंसे 522 वर्गमीटर एवं **राजकीय सिवाय चक भूमि** ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1137 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे **1350 वर्गमीटर कुल (522+1350) =1872 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 133110/– रूपये प्रति बीघा से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1137/1	0.30 हैक्टर	9X58=522 वर्गमीटर	13.31	3834X2= 7668	शंकरलाल पुत्र मेघाजी जाति गरासिया
1137	0.57 हैक्टर	9X63=567 वर्गमीटर 9X 38=342 वर्गमीटर 9X 13=117 वर्गमीटर 9X 36=324 वर्गमीटर	13.31	7546.77X2=15094 7541.1X2=15082 1557.27X2=3115 4312X2=8625 कुल 41916	राजकीय सिवायचक
02	कुल योग			49584/–रूपये	

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

......03

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 58/2021 GCMS NO 2021/249

अनवान चन्दनसिंह बनाम शंकर वगैरा

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार आवेदक द्वारा निजी खातेदार को प्रतिकर राशि 7668/–रूपये अदा की जायेगी तथा सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि 41916/–रूपये आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराई जावेगी। निजी खातेदार द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि 7668/–रूपये भी आवेदक द्वारा तहसील कोष में जमा कराई जावेगी।

तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि 49584/–रूपये **अक्षरे उन पचास हजार पांच सौ चौरासी रूपये** मात्र अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे सोहल नमि)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट/2022/712-16

दिनांक : 07-03-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति रजपुरोहित निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner